



समक्ष माननीय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल (म.प्र.)
 निगा-64-PBE-15 रिवीजन पिटीशन :/2015

अशोक कुमार जैन आत्मज स्व. श्री रतनलाल जी जैन,
 निवासी ग्राम पिपलिया बाँच खाँ, तहसील हुजूर भोपाल
 हाल - 27, लखेरापुरा, भोपाल

आवेदक/पिटीशनर

विरुद्ध

राजस्व निरीक्षक, सर्किल-2,
 तहसील हुजूर, जिला भोपाल
 द्वारा श्री मुकेश सिंह

अनावेदक/प्रत्यर्था

निगरानी अंतर्गत मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता

आवेदक निम्न निवेदन करता है :-

- यह कि, आवेदक को बिना दिनांक एवं बिना किसी प्रकरण क्रमांक के सीमांकन व कब्जा सम्बन्धी एक नोटिस श्री मुकेश सिंह, राजस्व निरीक्षक सर्किल-2, तहसील हुजूर, जिला भोपाल की सील के साथ बिना किसी डिस्पेच नम्बर के दिनांक 13.10.2015 को प्राप्त हुआ। इस नोटिस पर राजस्व निरीक्षक श्री मुकेश सिंह के हस्ताक्षर न होकर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर initial के रूप में किये हैं, दिनांक 16.10.2015 को सीमांकन करने हेतु निर्देशित था।

Handwritten signature

20/10/15

20/10/15

श्री अशोक कुमार जैन
 निवासी ग्राम पिपलिया बाँच खाँ
 तहसील हुजूर जिला भोपाल
 निगा-64-PBE-15

8/10/15
 अधीक्षक
 कार्यालय कमिश्नर
 भू-संभार, भोपाल

R-64-PBR-115

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30.11.2016	<p>आवेदक की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं। यह निगरानी सीमांकन के सूचना पत्र के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अभिभाषक के अवकाश-ले स्वच्छ है कि दिनांक 16.10.2015 को सीमांकन हो चुका है। अतः यह निगरानी विरुद्ध होने से घुने जाने का औचित्य नहीं है। अतः निगरानी अग्रहण की जाती है।</p> <p>का अध्यक्ष</p>	